31.7.2020 अभिलेख उपलब्धित किया गया। उभय पक्षों को सुना, राजस्व कार्यालयों और हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदिका डेगनी देवी पति राजकुमार पासवान साकिन पाण्डु थाना जमनगर ने दिनांक 02.4.96 में मो० अरूणा पति पाचु पासवान से मौजा पाण्डु खाता सं० 02 प्लॉट सं० 384 रकबा 04 डी० भूमि खरीदा जिसकी जमाबंदी पंजी II के पेज सं० 83/2 पर आवेदिका के नाम से दर्ज है। दूसरा केवाला दिनांक 23.10.2002 को मो० अरूणा पति स्व० पाचु पासवान सा० पाण्डु से खाता सं०-02 प्लॉट सं० 384 रकबा 06 डी० भूमि मंजू देवी पति उपेन्द्र पासवान, डेगनी देवी पति राजकुमार पासवान ने खरीदा जिसका जमाबंदी पंजी II के पेज सं० 82/2 पर दर्ज है। उसी प्लॉट में मो० अरूणा पति स्व० पाचु राम सा० पाण्डु ने खाता सं०-02 प्लॉट सं०-384 रकबा 02 डी० केवाला सं० 4813/04.08.2009 के द्वारा बंशीधर यादव पिता तेजो महतो को विक्रय किया है जिसका जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० 152/2 पर दर्ज है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में उक्त प्लॉट खाली पड़ा हुआ है अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्रय नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष राजकुमार पासवान का कहना है कि उसके 10 डी० भूमि में बंशीधर यादव के पुत्रों द्वारा लकड़ी इत्यादि रखकर जोतने नहीं दिया जाता है जबकि द्वितीय पक्ष नन्दलाल यादव पिता बंशीधर यादव सा० पान्डु का कहना है कि

वह अपने 02 डी० की भूमि पर ही काबिज है। उसे प्रथम पक्ष की भूमि से कोई मतलब नहीं है। द्वितीय पक्ष प्रसादी सिंह पिता वासुदेव सिंह, अंजन सिंह वास्ते मुंशी सिंह का कहना है कि मो० अरुणा पति पाचू पासवान ने 06 डी० रजिस्ट्री किया है जबकि उसके पति पाचू पासवान का हिस्सा 04 डी० होता है। और 04 डी० भूमि की प्रथम पक्ष की रजिस्ट्री गलत है। यद्यपि इस रजिस्ट्री एवं उसके खारिज खारिज के विरुद्ध द्वितीय पक्ष ने किसी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया है। अन्य पक्षकार त्रिभुवन यादव के पिता शिवलाल महतो का कहना है कि मसो० कली ने खरीदगी से प्राप्त मौजा पान्डु, खाता सं० 02 प्लॉट सं० 384 रकबा 08 डी० भूमि में से 1$\frac{3}{5}$ डी० भूमि त्रिभुवन यादव एवं रघुनाथ यादव पिता शिवलाल महतो को विक्रय किया है जिसपर वो काबिज हैं। प्रथम पक्ष डगनी देवी पति राजकुमार पासवान ने उक्त भूमि से संबंधित ग्रामीण पंचायत की छानबीन संलग्न किया है जिसमें प्रश्नगत भूमि के सीमांकन द्वारा मामला सुलझाने की बात कही गयी है। उभय पक्षों का सुनने से यह स्पष्ट है कि उनकी भूमि की मापी से विवाद का निपटारा संभव है। अतः उभय पक्षों को अपनी भूमि का सीमांकन कराने का निदेश दिया जाता है इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

31.7.2020

अंचल अधिकारी
जयनगर।